Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 56-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 29, 2019 (CHAITRA 8, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2019

संख्या 35/आ०–1/पं०अ०1/1914/धा० 59/2019.– पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 98/आ०–1/पं०अ०1/1914/धा० 9/2018, दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 के प्रतिनिर्देश से, मैं, अमित कुमार अग्रवाल, आबकारी आयुक्त, हरियाणा वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम प्रथम अप्रैल, 2019, से लागू होंगे।

2. हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 24 में,–

(i) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(i) प्ररूप अनु0–। में अनुज्ञप्ति के लिए,–

(क) ₹1,30,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 25 लाख प्रूफ लीटर से कम या बराबर है;

(ख) ₹1,50,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 25 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 50 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है;

(ग) ₹2,00,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 50 लाख प्रूफ लीटर से अधिक है;

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक जारी नही की जाएगी जब तक तीस लाख रूपये की प्रतिदेय प्रतिभूति जमा नहीं की जाती है, जो अधिनियम के अधीन जब्त किए जाने अथवा देय किसी राशि या शास्ति के लिए समायोजित किये जाने के लिए दायी होगी।'';

(ii) खण्ड (i–ख ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(i–ख ख) प्ररूप अनु0–4/अनु0–5 में अनुज्ञप्तियों के लिए:–

(क) 5 स्टार ग्रेडिंग तथा से अधिक के होटलों को प्रदान की गई अनु0–4/अनु–5 अनुज्ञप्ति	₹ 45,00,000

परन्तु अनु0–4/अनु0–5 अनुज्ञप्तिधारी उभरते आवासीय नगर क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों में भी प्रदान की जाएगी, जहां हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र तथा थीम/विशिष्ट पार्क विकसित किए हैं जैसे औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगर–क्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगर–क्षेत्र, रोहतक, औद्योगिक नगर पार्क मानेसर, प्रौद्योगिक पार्क, पंचकूला :

परन्तु यह और कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0–3) सहित एक मुख्य बार तथा तीन अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसी अनुज्ञप्तियां आगे रात–दिन के एक मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी। अनु0–3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओ तथा पेयों पदार्थों के साथ–साथ होटल कक्षों में रखे रेफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत है। अनु0–4/अनु0–5 अनुज्ञप्तिधारी बार 12.00 (मध्यरात्रि) बजे तक खुले रखे जा सकते है। बारों का समय दस लाख रूपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर एक घन्टे तक बढाया जा सकता है। मदिरा का विक्रय, जिसमें अनु04/अनु0–5 बाजार (बार) के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा भी शामिल है, 18 प्रतिशत की दर से वैट + वैट पर 5 प्रतिशत की दर से अधिभार आकर्षित करेगा;

(ख) 4 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल ₹38,00,000 :

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0–3) सहित, एक मुख्य बार तथा दो अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को आगे रात–दिन के एक मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0–3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओ तथा पेयों पदार्थों के साथ–साथ होटल कक्षों में रखे रैफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

परन्तु यह और कि राज्य में कहीं भी स्थित होटल को भी अस्थायी तौर पर एल–4/एल–5 अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी जो प्रार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के अन्दर पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार से 4 सितारा तथा इससे उपर का वर्गीकरण प्रस्तुत करेगा तथा असफल होने की स्थिति में अस्थायी अनुज्ञप्ति का बाद में नवीकरण नहीं किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी एल–4/एल–5 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के एक मास के भीतर स्टार रेटिंग के लिए आवेदन करेगा;

(ग) 3 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल ₹20,00,000:

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, एक अतिरिक्त बिन्दु तथा कक्ष सर्विस (अनु0–3) सहित, एक मुख्य बार अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0–3 अनुज्ञप्ति वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों पदार्थों के साथ–साथ होटल कक्षों में रखे रैफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

परन्तु यह और कि उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग (क), (ख) तथा (ग) के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को अपनी वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 50 प्रतिशत के बराबर एक बार फीस (वन टाईम फीस) के भुगतान पर बैंकट हाल तथा मुख्य बार से भूमिगत लान, स्रोत सहित अपने परिलक्षित (पहचानित) तथा अनुमोदित हालों के तीन (03) तक में किए गए कार्यो, पार्टियों, आयोजनो तथा बैठकों में मदिरा परोसने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।

अनु0–4/अनु0–5 और अनु0–12ग अनुज्ञप्तिधारियों को निर्धारित परमिट शुल्क के भुगतान पर राज्य के किसी भी अनु0–1खच से सीधे आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) खरीदने की अनुमति होगी:

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0–4/अनु0–5 अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।'';

(iii) प्ररूप अनु04/अनु0–5 में अनुज्ञप्ति के लिए, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ड़) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''(क)	राजस्व जिला गुरूग्राम के लिए	₹18,00,000
(ख)	जिला फरीदाबाद के लिए	₹15,00,000
(ग)	गुरूग्राम तथा फरीदाबाद के सिवाए राज्य के सभी अन्य जिले	₹12,00,000
(घ)	हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा संचालित बार (बारों) के लिए	₹2,25,00,000 की प्रशमन फीस
(ड.)	हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा उनके जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में संचालित बार	₹1,50,00,000 की प्रशमन फीस:

परन्तु ₹6.00 लाख की कम्पोजिट प्रतिभूति हरियाणा पर्यटन विभाग तथा हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण से कम्पोजिट अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त ली जाएगी।'';

(iv) (क) खण्ड (ii) में, ''₹60,00,000'' अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''₹70,00,000'' अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) खण्ड (ii-क) ''₹50,00,000'' अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''₹60,00,000'' अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ग) खण्ड (ii-ख) ''₹80,00,000'' अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''₹1,00,00,000'' अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'';

(घ) खण्ड (ii-ख) में,''विशेषाधिकार फीस'' शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियॉ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

''विशेषाधिकार फीस

भारत में बनी विदेशी स्पिरिट	₹22.00 प्रति प्रूफ लीटर
बीयर	₹16.00 प्रति बल्क लीटर'';

(v) खण्ड (ii–ख) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु हरियाणा राज्य में बाटलिंग प्लांट की स्थापना करने के लिए आवेदक से आशय पत्र प्राप्त किया जाएगा। आशय पत्र विनिर्दिष्ट वैधता अवधि के भीतर कतिपय निबन्धनों तथा शर्तो सहित जारी किया जाएगा। यह सरकार की अनुमति से जारी किया जाएगा तथा प्रथम बार के लिए आशय पत्र प्रदान करने तथा नवीकरण करने के लिए प्रति वर्ष फीस चालीस लाख रूपये होगी। एक वर्ष के प्रथम विस्तार के लिए आशय पत्र की पुनः वैधीकरण के लिए फीस आशय पत्र देने के लिए फीस की दर के समान होगी तथा एक वर्ष के प्रत्येक पश्चातवर्ती विस्तार के लिए पुनः वैधीकरण फीस पूर्व वर्ष की फीस का 125 प्रतिशत होगी। आश्य पत्र के पुनः वैधीकरण के लिए फीस जहां पहले आश्य पत्र या इसके पुनः वैधीकरण के लिए कोई भी फीस प्रभारित नहीं की गई थी वहां चालीस लाख रूपये तथा पश्चात्वर्ती पुनः वैधीकरण पूर्व वर्ष की फीस के 125 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी।'';

(vi) खण्ड (ii–ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(ii–ग) भारत में बनी विदेशी मदिरा पर बाटलिंग फीस निम्न अनुसार उदगृहीत की जाएगीः–

(क)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग डी–2 अनुज्ञप्ति के लिए	₹15.00/– प्रति प्रूफ लीटर
(ख)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग प्लाटं बाटलिगं के लिए	₹20.00/– प्रति प्रूफ लीटर
(ग)	उपरोक्त (क) तथा (ख) में न आने वाले ब्राण्ड की बाटलिगं के लिए तथा जहॉ फ्रेचाईज फीस उदगृहीत नहीं होती	₹22.00/– प्रति प्रूफ लीटर
(घ)	ब्रुअरज के द्वारा बीयर के बाटलिगं के लिए	₹8.00/– प्रति बल्क लीटरः

परन्तु बाटलिंग फीस, निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए भी मदिरा पर उद्ग्रहणीय होगी, यदि कोई भी विशेषाधिकार (फ्रैन्चाईज) फीस उद्गृहीत नहीं की गई है।'';

(vii) खण्ड (iv) में, अन्त में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु प्ररूप अनु0–12 क में अनुज्ञप्ति ₹500 प्रतिदिन समारोह के भुगतान पर एक दिन के लिए कब्जा सीमा से बाहर प्राईवेट स्थान पर व्यक्तिगत के लिए उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा दी जा सकती है।

वाणिज्यिक स्थानों जैसे कि समारोह आयोजित करने, एकत्र होने के लिए बैंकट हाल, फार्म हाउस, सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं को ₹50,000 प्रतिवर्ष की रजिस्ट्रेशन फीस के भुगतान पर जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पास रजिस्टर्ड कराना होगा। ऐसे मामलों में फीस ढांचा निम्न अनुसार होगाः–

(क)	आबकारी विभाग से रजिस्टर्ड वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्तियों के लिए	₹5,000 प्रतिदिन प्रति समारोह
(ख)	वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्तियों के लिए जो आबकारी विभाग के पास रजिस्टर्ड नहीं है।	₹10,000 प्रतिदिन प्रति समारोह

सभी वाणिज्यिक स्थानों में अनु0–12 क अनुज्ञप्ति को देने के लिए आवदेन में प्रबन्धक के ब्योरे अर्थात् नाम तथा शैली, जी.एस.टिन इत्यादि तथा मेहमानों की अनुमानित संख्या वर्णित होगी।'';

(viii) खण्ड (iv–ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(iv-ख) प्ररूप अनु0–12ग में अनुज्ञप्ति के लिए,–

(क)	राजस्व जिला गुरूग्राम के लिए	₹18,00,000/–
(ख)	जिला फरीदाबाद के लिए	₹15,00,000/–
(ग)	गुरूग्राम तथा फरीदाबाद के सिवाए राज्य के सभी अन्य जिले	₹12,00,000/–:

परन्तु इस उद्देश्य के लिए गठित जिला स्तर समिति द्वारा विहित मानदंडों और शर्तों को पूरा करने के लिए जरूरी अवसंरचना तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, इसके अलावा जिला मुख्यालयों के शहरों में स्थित प्रतिष्ठित क्लबों को एल–12सी अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएंगे। अनु0–12ग रखने वाला क्लब अनु0–4/अनु0–5 को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का हकदार होगा, जिसमें 3 स्टार की ग्रेडिंग होगी। इस अनुज्ञप्त का शुल्क 20 लाख रूपये होगाः

परन्तु यह और कि जिला मुख्यालय के शहरों में आवासीय कोंडोमिनियम के लिए एल–12ग के रूप में अनुज्ञप्ति की अनुमति प्रदान की जाएगी। मुख्य बार एल–4/एल–5 अनुज्ञप्ति के बराबर होगा, जब कोंडोमिनियम के अन्दर कोई अतिरिक्त मिनी क्लब प्रत्येक ऐसे अतिरिक्त मिनी क्लब के लिए अपने मुख्य बार के अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत की दर से अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा। यह इस शर्त के अधीन होगा कि केवल कोडोमिनियम या उसके निवासियों के मेहमानों को इस सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएंगीः

परन्तु यह और कि एल–12 सी अनुज्ञप्ति सरहिन्द क्लब, अम्बाला को प्रदान किए जाने पर, सेना के अधिकारी को सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से अपने कोटा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जबकि नागरिक सदस्य सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली शराब के लिए हकदार नहीं होंगेः

परन्तु यह और कि ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0–12ग अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।'';

(ix) खण्ड (iv-ग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

(iv-ग) प्ररूप अनु0–12 ग ग में अनुज्ञप्ति के लिए,–

(क)	9 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब (दो विक्रय बिन्दुओं सहित)	₹30,00,000
(ख)	18 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब (तीन विक्रय बिन्दुओं सहित)	₹50,00,000:

परन्तु शराब परोसने के लिए अनुज्ञप्ति केवल 9 होल या उससे अधिक सुविधाओं वाले गोल्फ क्लबों को प्रदान की जाएगी तथा उन्हें किसी भी होटल या किसी भी प्रकार के बार अनुज्ञप्ति के साथ अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनु0–12 गग क्लब बार के अनुज्ञप्तिधारी 12.00(मध्य रात्रि) बजे तक खुले रख सकते हैं। बारों का समय दस लाख रूपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर एक घण्टे तक बढाया जा सकता है।

टिप्पण 1 पहले से ही अनुज्ञात उपरोक्त दिए गए स्थल के अलावा प्रत्यके ऐसे स्थल के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की 20 प्रतिशत फीस के समान अदायगी पर चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा प्रति अनुज्ञप्ति अधिकतम तीन अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति दी जायेगी।

टिप्पण 2 हरियाणा पर्यटन तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा उनके अपने जिमखाना तथा गोल्फ कल्बों में बार चलाने की दशा में, उन्हें ऐसे प्रत्येक स्थल के लिए एक लाख रूपये की अतिरिक्त फीस पर चलाने की अनुमति दी जाएगीः

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0–12गग कल्ब बार अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।'';

(x) खण्ड (v) में, खण्ड (i) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियॉ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

''(v) (i) देसी मदिरा (अनु0–13) के थोक बाजार के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित प्रकार से होगीः–

(1) ₹35.00 लाख, यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 50 लाख प्रुफ लीटर से कम है।

(2) ₹50 लाख, यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 50 लाख प्रुफ लीटर के बराबर या इससे अधिक है।

अनुज्ञप्तिधारी से जिले में ₹10.00 लाख प्रति अनु0–13 की प्रतिदेय प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी।'';

(xi) खण्ड (i–गग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियॉ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

''(i–गग) प्ररूप अनु0–1 क ख–1 में अनुज्ञप्ति के लिए ₹50,00,000;'';

(xii) खण्ड (i–ड़) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियॉ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

''(i–ड़) प्ररूप अनु0–1 ख में अनुज्ञप्ति के लिए

(1) राज्य में स्थित आसवनी का अनु0–1ख ₹50,00,000

(2) राज्य से बाहर स्थित आसवनी का अनु0–1ख ₹1,00,00,000;'';

(xiii) खण्ड (i–ड़ड) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियॉ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

''(i–ड़ड़) (क) ब्रुअर को प्ररूप अनु0–1ख1 में अनुज्ञप्ति के लिए ₹1,00,00,000;''

(ख) वाईन निर्माता को प्ररूप अनु0–1ख1 में अनुज्ञप्ति के लिए ₹50,00,000;'';

(xiv) खण्ड (i–ड़ड़ड़) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियॉ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

''(i– ड़ड़ड़) प्ररूप अनु0–1ख1–क में अनुज्ञप्ति के लिए ₹1,00,00,000;'';

(पीने के लिए तैयार पेय)

(xv) खण्ड (i–ड़ड़ड़ड़) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(i–ड़ड़ड़ड़) प्ररूप अनु0–1खच में अनुज्ञप्ति के लिए,–

(क) अनु0–1खच के लिए अनुज्ञप्ति फीस ₹16,00,00,000 होगी;

(ख) विभाग के पोर्टल पर प्रार्थना पत्र को आमन्त्रित करके अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी;

(ग) आवेदक को केवल एक आवेदन करने की अनुमति होगी। आवेदक कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत स्वामित्वधारी फर्म या एक सांझेदारी फर्म, या कम्पनी होगी;

(घ) आवेदक ₹1,00,000 का आवेदन शुल्क और ₹1,60,00,000 का अग्रिम धन राशि जमा करेगा। आवेदन शुल्क गैर वापसीयोग्य होगा। जिसका विवरण अपने आवेदन में करेगा;

(ड़) वे सभी आवेदन, जो क्रम में पाये जाते हैं, ड्रॉ ऑफ लाट्स के योग्य माने जायेगे। पंचकुला में विभाग के प्रमुख कार्यालय में उपस्थित होने या चयन करने वालों की उपस्थित में ये ड्रा ऑफ लाट्स निकाले जायेगे;

(च) आवेदकों को अनुज्ञप्तियॉ, विभाग के प्रस्ताव को उनके द्वारा स्वीकृत करने के अध्यधीन प्रदान की जाएंगी, यदि कोई आवेदक, विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार नही करता है, तो आबकारी तथा कराधान आयुक्त को, ऐसी रीति, जो वह राजस्व के सर्वोत्तम हित में उचित समझे, में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(छ) सफल आवेदक आबंटन के तीन दिन के भीतर अनुज्ञप्ति शुल्क के 21 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करेगा;

(ज) निम्नलिखित मामलों में आवेदक का अग्रिम धनराशि जब्त कर लिया जायेगाः–

(i) यदि आवेदक अपने आवेदन में कोई गलत या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करता है;

(ii) यदि आवेदक किसी भी कदाचार में लिप्त होने का दोषी पाया जाता है;

(iii) यदि सफल आवेदक आबंटन के तीन दिन के भीतर प्रतिभूति राशि की किस्त जमा करने में विफल रहता है;

(iv) यदि सफल आवेदक उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जो उसे आबंटन के सात दिन के भीतर विभाग को प्रस्तुत करने आवश्यक है। किसी अन्य कारण के लिए जैसा कि आबकारी आयुक्त उचित समझे।

(झ) सफल आवेदक भारत में निर्मित विदेशी मदिरा और देशी मदिरा के खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए लागू उपबन्धों के अनुसार दस मासिक किस्तों में अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करेगा। 21 प्रतिशत की प्रतिभूति राशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुज्ञप्ति शुल्क की शेष राशि के लिए समायोजित किया जायेगा। अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने में हुई देरी की अवधि के लिए भारत में निर्मित विदेशी मदिरा तथा देशी मदिरा के खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए लागू उपबन्धों के अनुसार ब्याज उद्ग्रहणीय होगा;

(ण) अनु0–1खच अनुज्ञप्ति के लिए न्यूनतम कोटा निम्नानुसार नियत किया जायेगाः–

(i) विस्की, स्कॉच, रम, वोदका, जिन, ब्रांडी आदि 25000 पेटियॉ

(ii) बीयर 25000 पेटिया

(iii) वाईन, साईडर, लीकर आदि 12000 पेटिया

परन्तु बशर्ते कि अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष में उपर बताए अनुसार न्यूनतम कोटा उठाना होगा। यदि न्यूनतम कोटा उठाने में विफलता के कारण विस्की और शराब के मामलें में ₹5000 प्रति पेटी शास्ति जो उपरोक्त (i), (iii) में दर्शायी गई है, तथा ₹2500 प्रति पेटी बीयर के मामले में उपरोक्त (ii) के अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाएगी। तिमाही के आधार पर कोटे की निगरानी की जायेगी। संचयी आधार पर गणना की गई सभी तिमाहियों के अन्त में उठाए गए कोटे की कम मात्रा के लिए शास्ति उद्ग्रहणीय होगी। तिमाही में दंडित किए गए कोटे की कमी के मामले में, उसी कोटे को बाद के किसी भी तिमाहियों में फिर से दंडित नही किया जाएगा। प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक खण्ड का वार्षिक कोटा 25 प्रतिशत होगा। वाईन के कोटे को विस्की के सेगमेन्ट में किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना गणना किए जाने के अनुरोध पर स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जायेगी;

(ट) सभी अनु0–1खच अनुज्ञप्तिधारी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों को खोलने के लिए हकदार होगे, जिन्हें नीचे दी गई तालिका के अनुसार किसी एक या किसी भी संयोजन में शाखाएं दी गई हैंः–

				न्यूनतम कोटा(4)	
स्थान का नाम(1)	अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस (2)	जलागम क्षेत्र (3)	विस्की	बीयर	वाईन
फरीदाबाद	50 लाख	फरीदाबाद तथा पलवल	6000 पेटियॉ	6000 पेटियॉ	2000 पेटियाँ
करनाल	25 लाख	करनाल, कुरूक्षेत्र तथा कैथल	3000 पेटियॉ	3000 पेटियॉ	1000 पेटियाँ

पानीपत	25 लाख	पानीपत तथा सोनीपत	3000 पेटियॉ	3000 पेटियॉ	1000 पेटियाँ
पंचकुला	25 लाख	पंचकुला,यमुनानगर तथा अम्बाला	5000 पेटियॉ	5000 पेटियॉ	1000 पेटियाँ
रिवाड़ी	25 लाख	रिवाडी तथा महेन्द्रगढ	3000 पेटियॉ	3000 पेटियॉ	1000 पेटियाँ
रोहतक	25 लाख	रोहतक, जीन्द, भिवानी तथा झज्जर	3000 पेटियॉ	3000 पेटियॉ	1000 पेटियाँ
हिसार	25 लाख	हिसार, फतेहाबाद तथा सिरसा	3000 पेटियॉ	3000 पेटियॉ	1000 पेटियाँ

(ठ) अनुज्ञप्तिधारक बिना किसी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क के अतिरिक्त कोटा का भी हकदार होगा, जो न्यूनतम कोटा का 15 प्रतिशत होगा। यह उसके न्यूनतम कोटा को समाप्त करने के बाद उपलब्ध होगा। कोटा की और आवश्यकता के मामले में, न्यूनतम कोटा और अतिरिक्त कोटा समाप्त करने के बाद, अनुज्ञप्तिधारी को ₹1.5 करोड के विशेष शुल्क के भुगतान पर वार्षिक कोटा के 10 प्रतिशत के स्लैब में अतिरिक्त कोटा के लिए हकदार होगा। ₹1.5 करोड के भुगतान पर अतिरिक्त कोटा भी के पिछले स्लैब को समाप्त करने के बाद वार्षिक कोटा के 10 प्रतिशत के स्लैब में अतिरिक्त कोटा प्राप्त किया जा सकता है;

परन्तु कि शाखाओं के लिए भी 15 प्रतिशत अतिरिक्त कोटा दिया जायेगा। शाखाओं के लिए न्यूनतम कोटा समाप्त करने के बाद इसकी अनुमति दी जायेगी। शाखाओं के लिए न्यूनतम कोटा के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त कोटा प्रदान नही किया जायेगा। तथापि, पंचकुला शाखा के न्यूनतम कोटा के 10 प्रतिशत के लिए 2.5 लाख रूपये के भुगतान पर पंचकुला में शाखा के लिए अतिरिक्त कोटा की अनुमति दी जायेगी।

परमिट फीस

(क)	विस्की	₹ 75/– प्रति प्रूफ लीटर
(ख)	वाईन	₹75/– प्रति बल्क लीटर
(ग)	बीयर	₹30/– प्रति बल्क लीटर

ब्राण्ड लेबल फीस

(क)	स्कोच/विस्की	₹ 70,000 प्रति ब्रांड
(ख)	बीयर	₹ 60,000 प्रति ब्रांड
(ग)	रम/वोदका/वाईन	₹ 35,000 प्रति ब्रांड
(घ)	जिन/ब्राण्डी साईडर/ चैम्पेजन/लिक्अर	₹ 25,000 प्रति ब्रांड'';

मूल्यांकन फीस

(क)	विस्की	₹250/– प्रति प्रूफ लीटर
(ख)	वाईन	₹100/– प्रति बल्क लीटर
(ग)	बीयर	₹250/– प्रति बल्क लीटर

(ढ) आयातित विदेशी शराब पर वैट 5 प्रतिशत अधिभार के साथ 10 प्रतिशत की दर से लिया जायेगा;

(ड) वर्ष 2018–2019 के लिए अनु0–1खच का निवर्तमान अनुज्ञप्तिधारी वर्ष 2019–2020 के लिए आने वाले किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को दिनांक 31–03–2019 को आयायाति विदेशी शराब का बचा हुआ स्टॉक हस्तांतरित कर सकता है। स्टॉक को परमिट शुल्क में वृद्धि और मूल्यांकन शुल्क के

लाभ से उत्पन्न अन्तर राशि के भुगतान पर स्थानानतरिकत किया जायेगा। इसके अलावा विस्की, स्कॉच, रम, वोदका, जिन और ब्रांडी आदि के लिए ₹120 प्रति प्रुफ लीटर की दर से और वाईन के लिए ₹120 प्रति बल्क लीटर और बीयर पर ₹50 प्रति बल्क लीटर की दर से ट्रांसफर शुल्क भी लगाया जायेगा;

(xvi) खण्ड (i–छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(i–छ) प्ररुप अनु0–1–ग में अनुज्ञप्ति के लिए		प्रत्येक के सामने नीचे दी गई दरों पर वार्षिक फीस
(i)	विस्की/स्कोच	₹ 1,00,000 प्रति ब्राण्ड
(ii)	बीयर	₹ 80,000 प्रति ब्राण्ड
(iii)	रम	₹ 60,000 प्रति ब्राण्ड
(iv)	जिन/वोदका	₹ 45,000 प्रति ब्राण्ड
(v)	वाईन/ब्राण्डी/साईडर/चैम्पेजन	₹ 30,000 प्रति ब्राण्ड
(vi)	सीएसडी की आपूर्ति के लिए वोदका/ब्राण्डी/ साईडर/वाईन तथा चैम्पेजन	₹ 15,000 प्रति ब्राण्ड
(vii)	देसी मदिरा	₹ 1,00,000 प्रति ब्राण्ड
(viii)	पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी)	₹ 90,000 प्रति ब्राण्ड
(ix)	राज्य से बाहर निर्यात के लिए ब्रांड लेबल फीस (सभी प्रकार के ब्रांडों के लिए)	₹ 75,000 प्रति ब्राण्डः

परन्तु बाटलिंग फीस, निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए भी मदिरा पर उद्ग्रहणीय होगी, यदि कोई भी विशेषाधिकार (फ्रैन्चाईज) फीस उद्गृहीत नहीं की गई है।''।

3. उक्त नियमों में, नियम 27–क में,–

उप–नियम (1) में , खण्ड (iii) तथा (iv)के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:–

''(iii)	(क)	शापिंग माल में स्थित अनु0–2 अनुज्ञप्ति द्वारा प्राप्त प्ररूप अनु0–10ख में अनुज्ञप्ति के लिए फीस	₹ 10,00,000
	(ख)	शापिंग माल में डिपार्टमैन्टल स्टोर में स्थित प्ररूप अनु0–10ख में अनुज्ञप्ति के लिए फीस	₹ 25,00,000
(iv)	(क)	माइक्रोब्रीवरी द्वारा प्राप्त प्ररूप अनु0–10ग में अनुज्ञप्ति के लिए फीस	₹ 20,00,000
	(ख)	अनु0–4/अनु0–5 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त प्ररूप अनु0–10ग में अनुज्ञप्ति के लिए फीस	₹ 12,00,000

बशर्ते कि लाईसैंस शुल्क के अलावा अनु0–10 ग अनुज्ञप्तिधारी से ₹3,00,000 की सिक्योरिटी राशि ली जाएगी।

(v) प्ररूप अनु0–10ड़ में अनुज्ञप्ति के लिए ₹ 10,00,000

परन्तु अनुज्ञप्ति शुल्क के अलावा अनु0–10ड़ अनुज्ञप्तिधारी से ₹3,00,000 की प्रतिभूति राशि ली जाएगी।

4. उक्त नियमों में, नियम 36–क में,–

(i) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(1) देसी मदिरा और भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा बाजारों का आबंटन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ई–निविदा के माध्यम से ग्रुप जोनों में किया जाएगा। जोन के लिए कमाण्ड क्षेत्र आबकारी व्यवस्था में जोन के लिए भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। जोन के लिए कमाण्ड क्षेत्र में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र दोनो शामिल होंगे। अनुज्ञप्तिधारी को ठेका के किस्म अर्थात् केवल देसी मदिरा या केवल भारत में निर्मित विदेशी

मदिरा या दोनों देसी मदिरा और भारत में बनी विदेशी मदिरा का निर्णय करने के लिए सुगमता होगी। भारत में निर्मित विदेशी मदिरा में भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट, आयातित विदेशी मदिरा(बी0आई0ओ0), बीयर, वाईन, साइडर और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ शामिल होंगे। कुल सीमा छह खुदरा ठेकों की होगी और जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पूर्व अनुमोदन से जोन के कमाण्ड क्षेत्र में अपना ठेका किसी स्थल पर स्थापित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी देसी मदिरा/भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, जैसी भी स्थिति हो, के लिए प्रत्येक व्यैक्तिक ठेके हेतु भी अनुपातिक कोटे का निर्णय करेगा। आबंटन की प्रक्रिया सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) सदस्य के रूप में तथा उपायुक्त से मिलकर बनने वाली समिति, भागीदारों की उपस्थिति में, जो विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली ई–निविदाओं के मूल्यांकन की तिथि पर उपस्थित होने के इच्छुक हो, संचालित की जायेगी। ठेकों के जोन का आबंटन ई–निविदाएं आमन्त्रित करते हुए किया जाएगा। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) अपने जिले में स्थित सभी अनु0–2, अनु0–14क ठेकों, उप–ठेकों तथा अनुमत कक्ष की भौगोलिक सूचना प्रणाली निर्देशांक को अपलोड करेंगे। आबकारी व्यवस्था तैयार करने के बाद, जिले का उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) अपने कार्यालय, जिले के उपायुक्त के कार्यालय, जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) के साथ–साथ सम्बन्ध संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (रेंज) कार्यालय तथा विभाग की वैबसाईट www.haryanatax.gov.in पर आबकारी व्यवस्था को प्रदर्शित करेगा और सार्वजनिक/हितधारकों से प्रदर्शन के बाद दो दिन के लिए आपत्तियों को आमन्त्रित करेंगे और दो दिन के भीतर यदि कोई आश्रेय है तो उसका निर्णय किया जायेगा। सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) का निर्णय अन्तिम होगा;

परन्तु ठेकों के अन–अलॉटिड जोन का आबंटन, निविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित तरीके से आरक्षित मूल्य को क्रमिक रूप से कम करके जारी रखा जाएगाः–

(i) यदि जोन की आरक्षित कीमत 5.00 करोड रूपये से कम है, तो मूल आरक्षित मूल्य के 5 प्रतिशत स्लैब में;

(ii) यदि जोन की आरक्षित कीमत 5.00 करोड रूपये से अधिक है, तो मूल आरक्षित मूल्य के 5 प्रतिशत स्लैब में, जब तक ये आबंटित नहीं हो जाते हैं या 25 अप्रैल तक, या अगले कार्यदिवस को, यदि 25 अप्रैल को छुटटी होती है, जो भी पहले हो और इस सम्बन्ध में आबकारी तथा कराधान आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा;

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में, पुनः आबंटन की प्रक्रिया तुरन्त विज्ञापन के माध्यम से ई–निविदाए आमन्त्रित करते हुए प्रारम्भ की जायेगी। पुनः आबंटन के लिए आरक्षित मूल्य शेष अवधि, जिसके लिए ठेकों का जोन मूल अनुज्ञप्ति फीस का उपयोग करते हुए पुनः आबंटित किया जाना है, के लिए अनुपातिक रूप में संगणित किया जाएगा। यदि कोई भी ई–निविदा प्राप्त नहीं हुई, तो आरक्षित मूल्य, उपर वर्णित मूल आरक्षित मूल्य का दस प्रतिशत या पचास लाख रूपये जो भी कम हो, से घटाते हुए होगा और आमन्त्रित ई–निविदा की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी जब तक ठेकों के जोन का पुनः आबंटन नहीं हो जाता है। यह पुनः आंबटन मूल अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम और लागत पर किया जाएगा।'';

(ii) उप–नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(5) बोलीदाता को प्रत्येक जोन के लिए ₹1,00,000 की भागीदारी फीस जमा करानी होगी। भागीदारी फीस वापसी– योग्य नहीं है तथा समायोजनयोग्य नहीं है। भागीदारी फीस उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पक्ष में या तो नकदी में या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा उनके पंजीकरण के जिले के सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में जमा की जाएगी।'';

(iii) उप–नियम (17) में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

''अनुज्ञप्तिधारी जिसको देशी मदिरा (अनु0–14क) या भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0–2) का खुदरा मदिरा बाजार आबंटित किया जाता है, तो राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित देशी मदिरा (अनु0–13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0–1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से तिमाही आधार पर देशी मदिरा या भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण वार्षिक कोटा उठाने के लिए बाध्य होगा। कोटा को उठाने का अर्थ होगा देशी मदिरा (अनु0–13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0–1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से मदिरा का भौतिक रूप से उठाना। देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण कोटा उठाना अनुज्ञप्तिधारी के लिए नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार बाध्यकर होगाः–

तिमाही	मासवार	
अप्रैल	9 प्रतिशत	25 प्रतिशत
मई	8 प्रतिशत	
जून	8 प्रतिशत	

जुलाई अगस्त सितम्बर	7 प्रतिशत 7 प्रतिशत 6 प्रतिशत	20 प्रतिशत
अक्तूबर नवम्बर दिसम्बर	10 प्रतिशत 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत	30 प्रतिशत
जनवरी फरवरी मार्च	9 प्रतिशत 8 प्रतिशत 8 प्रतिशत	25 प्रतिशत

अनुज्ञप्तिधारी को तिमाही आधार पर अपने देशी शराब के अधिकतम 10 प्रतिशत कोटा को भारत में निर्मित विदेशी मदिरा में बदलने की स्वतन्त्रता होगी।

तिमाही कोटे को उठाने के सम्बन्ध में उपबन्ध के अननुपालन में देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा की अपूर्ण मात्रा के लिए क्रमशः 55/– रुपये तथा 100/– रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से शास्ति लगाई जाएगी।

अनुज्ञप्तिधारी को आबकारी जिले के अन्दर तिमाही आधार पर अपना कोटा देसी मदिरा के लिए ₹7 प्रति प्रुफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लिए ₹13 प्रति प्रूफ लीटर अन्तरण फीस अदा करने के बाद अन्तरण किया जाएगा जो कोटा अंतरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे अनुरोध पर अन्तरण करने वाले लाईसैंसी के द्वारा अदा की जाएगी।'';

(iv) उप–नियम (19) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(19) कोई भी व्यक्ति जिसको खुदरा मदिरा बाजार के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसे परिसरों में उसे स्थापित नही करेगा जो मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अडड्े तथा पूजा के स्थान के मुख्य दरवाजे से कम से कम 150 मीटर की दूरी पर स्थित हो। तथापि् आबकारी आयुक्त उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त की सिफारिश पर 150 मीटर से 75 मीटर के लिए खुदरा मदिरा बाजार की अवस्थिति के लिए ऐसी दूरी में छूट दे सकता है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में, खुदरा मदिरा बाजार मार्किट स्थानों में अवस्थित होंगे। तथापि, यह उपबन्ध ऐसे मामले में लागू नहीं होगा जहां नया मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डा या पूजा का स्थान वर्ष 2019–20 में ठेके की स्थापना के पश्चात्वर्ती वर्ष की चालू रहने के दौरान 150 मीटर के दूरी में आते हैं।'';

(v) उप–नियम (22) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(22) आबकारी तथा कराधान विभाग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निमग क्षेत्र और हरियाणा पर्यटन निगम/शहरी स्थानीय निकायों की भूमि में उच्च राजस्व क्षमता वाले शराब के ठेकों का प्रस्ताव/सुविधा प्रदान करेगा। तथापि, सम्बन्धित विभाग/निगम द्वारा तय किए गए किराए का भुगतान अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा सीधे तौर पर ऐसे विभाग/कारपोरेशन को अदा किया जायेगा। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के द्वारा मोनिटर किया जायेगा और तिमाही आधार पर इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। तथापि, हरियाणा पर्यटक कम्पलैक्सों की दशा में केवल अनु0–2 ठेके अनुज्ञात होंगे। पर्यटक कम्पलैक्सों में अनु0–2 के साथ कोई अनुमत कक्ष नहीं खोला जाएगा।'';

(vi) उप–नियम (24) से (27) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:–

''(24) अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र के पॉश मार्किट या शॉपिंग माल में अपने संयुक्त ठेकों में से एक या इससे अधिक ठेकों को अवंत ग्रेड आउटलेट में परिवर्तित करेगा, जहॉ वह केवल भारत में निर्मित विदेशी शराब को बेचने का इरादा रखता है। इस प्रयोजन के लिए, शहरी क्षेत्रों के पॉश मार्किट या शापिंग माल में कुछ खुदरा दुकानों को आबंटित अवंत ग्रेड आउटलेट के रूप में पहचाना जाएगा। अवंत ग्रेड आउटलेट को क्षेत्र के ग्राहक–गण तथा सम्भावना को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पहचाना जाएगा। अवंत ग्रेड आउटलेट में भारतीय विदेशी मदिरा (बोआईओ) के लिए पृथक वर्ग होगा। आधुनिक दुकानें किसी अतिरिक्त आबकारी शुल्क

के बिना अर्थात् आबकारी शुल्क की दर पर अपने मूल कोटे के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटे को उठाने के लिए हकदार होगाः

परन्तु मशीन द्वारा तैयार बिल का प्रोविजन सभी खुदरा लाईसैंसियों के लिए बिल जारी करने के लिए आवश्यक होगा। इस प्रोविजन की उल्लंघना की दशा में, सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ0) के जॉच करने के बाद प्रत्येक केस पर ₹500 की शास्ति लाईसैंसी पर लगायी जायेगी। आगे उपबन्धित किया जाता है कि यदि ₹15 करोड के बराबर या अधिक की अनुज्ञप्ति फीस वाले शहरी क्षेत्र का कोई अनु0–2 अनुज्ञप्तिधारी ठेके के आबंटन के बाद अवंत ग्रेड आउटलेट में अपने ठेके को बदलना चाहता है, तो उसे विभाग के अनुमोदन से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। ऐसे आवेदनों को जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (विक्रय कर) तथा दो वरिष्ठतम आबकारी तथा कराधान अधिकारियों से मिलकर बनी (समिति) द्वारा परीक्षित किया जाएगा तथा अनुमोदन के लिए विचारा जाएगा।

(25) खुदरा ठेकों के जोन के प्रत्येक सफल आबंटिती के लिए जोन के ठेकों की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 21 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी, जिसमें से अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत ई–बोली के मुल्यांकन के दिन को; अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत आबंटन के दिन के सात दिन के भीतर या 31 मार्च को या से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी; तथा अनुज्ञप्ति फीस के 11 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति
7 अप्रैल, 2019 तक जमा कराई जाएगी।

अगर बोली की कीमत जो आरक्षित मूल्य 25 प्रतिशत से अधिक है, के मामले में, बोलीदाता को अपनी बोली राशि के 15 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम राशि का शेष राशि प्रतिभूति राशि के रूप में सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पास जमा करनी होगी। सफल बोली दाता के मामले में, उसकी बोली का 15 प्रतिशत सिस्टम द्वारा काट लिया जाएगा और 15 प्रतिशत सिक्योरिटी के रूप में जमा किया जाएगा।

उसके बोली धन का 82 प्रतिशत उसके बोली धन के 8.2 प्रतिशत की दस बराबर मासिक किस्तों में उस द्वारा भुगतानयोग्य होगा; जो कि ठेके/समूह ठेकों के उसके प्रचालन के प्रारम्भ के मास से शुरू होने वाले प्रत्येक मास की 20 तारीख तक तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती मास तक भुगतान योग्य होगा। भुगतान मासिक किस्तों के रूप में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 82 प्रतिशत की सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने तक निरन्तर जारी रहेगा। उसकी प्रतिभूति का भाग, उसके बोली धन के 18 प्रतिशत के बराबर, उसके बोली धन के 82 प्रतिशत तक की राशि की किस्तों के भुगतान के बाद उसकी अनुज्ञप्ति फीस की ओर अन्त में समायोजित किया जायेगा। समायोजन उसकी बोली धन के 9 प्रतिशत की प्रत्येक, दो बराबर किस्तों में दो मास की अवधि में किया जाएगा।

(26) उसके बोली धनराशि के 3 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 15 अप्रैल, 2020 तक उसकी ओर बकाया था असंदत पाई गई किसी राशि को समायोजन करने के बाद वापस की जाएगी। यह राशि जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा वापस की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा। यदि आबंटिती/अनुज्ञप्तिधारी विहित समय में प्रतिभूति का सम्पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द हो जाएगी तथा जमा प्रतिभूति, यदि कोई हो, जब्त हो जाएगी। किन्हीं दस किस्तों के भुगतान के लिए विहित समय का पालन करने में असफलता की दशा में, देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भुगतान की तिथि तक चूक के मास के प्रथम दिन से प्रभारित किया जाएगा।

(27) जोन के ठेकों की दशा में जो वित्तीय वर्ष के चालू रहने के दौरान आबंटित/पुनः आबंटित किए गए हैं, बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी तथा बोली धन के 11 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति आबंटन के तिथि के दस दिन के भीतर जमा की जाएगी। ठेकों का जोन आबंटन/पुनः आबंटन की आगामी तिथि से प्रचालन में आएगा। मास जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है के लिए अनुज्ञप्ति फीस, उस मास के शेष दिनो के अनुपात में, मास की समाप्ति तक भुगतानयोग्य होगी। अनुज्ञप्ति फीस के 82 प्रतिशत में से शेष राशि बराबर मासिक किस्तो में जनवरी तक भुगतानयोग्य होगी, उसके बाद, उसकी प्रतिभूति अन्य आबंटनों के मामले में समायोजित की जाएगी।

यदि आबंटन या पुनः आबंटन दिसम्बर, 2019 के बाद किया जाता है तो उसके बोली धन का 82 प्रतिशत मास की अन्तिम तिथि तक वसूल किया जाएगा जिसमे आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है। आबंटन/पुनः आबंटन के मास के लिए किस्त को, पूर्ण मास के रूप में संगणित समझा जाएगा।

यदि आबंटन/पुनः आबंटन 20 से पूर्व किया जाता है तो भुगतान की तिथि 20 होगी या यदि आबंटन 20 को या बाद में किया जाता है, तो भुगतान मास के अन्तिम दिन को होगा। कोई भी ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा।''।

5. उक्त नियमों में, नियम 37 में,–

(i) उप–नियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा,–

''(10) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी) तथा स्वतन्त्रता दिवस (15अगस्त) को अपना ठेका सायं 5.00 बजे तक तथा महात्मा गॉधी के जन्मदिन (2 अक्तूबर) को पूरा दिन बन्द रखना होगा। हरियाणा राज्य में या सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के भीतर क्षेत्र में तथा निकटवर्ती राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र के 3 कि0मी0 के भीतर क्षेत्रों में मतदान से पूर्व दो दिन की अवधि के लिए, मतदान के बाद एक दिन, मतगणना के दिन(दिनों) से पूर्व, मतगणना के दिन(दिनों), उसके बाद आगामी दिन जहां मतदान भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य विधान सभा या संसद के लिए तथा हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव में किया जाता है, बन्द रखना होगा। ऐसे कारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस में किसी प्रकार की सहायता की कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी तथा इस नियम के उल्लंघन की दशा में, दाण्डिक कार्यवाही के अतिरिक्त, अनुज्ञप्त ठेका आबकारी तथा कराधान अधिकारी तथा कलक्टर की सूचना के अधीन उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त(आबकारी) द्वारा शुष्क दिन के आगामी दिन से प्रारम्भ सात दिन के लिए स्वतः मोहर बन्द कर दिया जायेगा।'';

(ii) उप नियम (32) में, खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(iv) देशी मदिरा के लिए ₹ 7.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडो के लिए ₹13.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹11 प्रति बल्क लीटर की दर से स्टॉक अन्तरण फीस उद्गृहीत की जाएगी,

परन्तु कि कलैक्टर(आबकारी) के अनुमोदन के बाद, मौजूदा लाईसैंसी को, केवल थौक लाईसैंसी की स्थिति में, पिछले वर्ष के लाईसैंसी के बचे हुए स्टॉक को अंतर–जिला हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टॉक ट्रांसफर फीस देशी मदिरा के लिए ₹9.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए ₹15.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹12.00 होगी।

परन्तु यह और कि चालू वर्ष के दौरान थौक लाईसैंसी के द्वारा छोडे हुए स्टॉक को कलैक्टर (आबकारी) के द्वारा उसी जिले के अन्य लाईसैंसी या दूसरे जिले के लाईसैंसी को भी हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टॉक ट्रांसफर फीस देशी मदिरा के लिए ₹9.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में बनी विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडों के लिए ₹15.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹12.00 होगी।

टिप्पणः– जहॉ वर्ष 2019–2020 के लिए आबकारी नीति में किसी भी प्रकार की मदिरा के आबकारी शुल्क के रेट में वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2018–2019 के लिए आबकारी शुल्क की दर से अधिक है, दिनांक 01–04–2019 को बचे हुए स्टॉक पर अन्तर आबकारी शुल्क स्टॉक ट्रांसफर फीस के अतिरिक्त, यदि कोई हो, देय होगी।''।

6. उक्त नियमों में, नियम 38 में, उप नियम (16क) में,–

(i) खण्ड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(कक) मदिरा बेचने के लिए किसी दुकान को कोई लाईसैंस प्रदान नहीं किया जाएगा अर्थात्–

(i) राष्ट्रीय राज मार्ग या राज्य राज मार्ग से दिखाई देने वाला;

(ii) राष्ट्रीय राज मार्ग या राज्य राज मार्ग से स्पष्ट तौर पर दिखाई देने वाला; तथा

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग या ऐसे राज मार्गों के साथ लगने वाली सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित होंगेः

परन्तु उपरोक्त प्रतिबन्ध नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित शराब के ठेकों पर लागू नहीं होगाः

परन्तु यह और कि 20000 लोगों या उससे कम आबादी वाले स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों के मामलें में, 500 मीटर की दूरी 220 मीटर तक कम हो जाएगी। बशर्ते कि पहले के वर्षों की तरह, खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण, नगरपालिका उप–नियम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 2002, पंजाब अनुसूचित सडके और असंगठित विकास अधिनियम, 1963 के नियंत्रित क्षेत्र, जहॉ भी आवश्यकता हो, या अन्य किसी कानून के लागू होने पर, विभिन्न प्रावधानों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी।

टिप्पणः– उपरोक्त नियत निबन्धनों की कडी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ0) की जिम्मेवारी होगी।''।

(ii) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(छ) (क) उप ठेका खोलने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को प्ररूप एल–14क/एस0वी0 में अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। शहरी क्षेत्रों के लिए, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ0) द्वारा प्रत्येक जोन में दो उप–ठेके तक खोलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ0) द्वारा केवल शहरी क्षेत्रों के लिए जोन के कमाण्ड एरिया के भीतर अनुज्ञप्तिधारियों से विशिष्ट अनुरोध पर और उनके कमाण्ड क्षेत्र में अवैध शराब की अवैध बिक्री या अवैध शराब की बिक्री, तस्करी और तस्करी से बचने के लिए दो उप–ठेकों तक खोलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। प्रत्यके उप ठेके की लाईसैंस फीस निम्नलिखित प्रकार से होगीः–

शहरी क्षेत्रों		ग्रामीण क्षेत्र
2 उप–ठेकों तक	आगे दो उप–ठेकों के लिए	
₹20.00 लाख	₹30.00 लाख	₹2.00 लाख

ग्रामीण क्षेत्रों में उप ठेकों के लिए प्रावधान नीचे वर्णित पैरा (ख), (ग) और (घ) के अनुसार लागू किया जायेगाः–

(ख) उप–ठेके 1000 (2011 की जनगण्ना के अनुसार) से अधिक की जनसंख्या की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे;

(ग) 1000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से कम की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत के लिए उप–ठेके, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति से अनुज्ञात किए जाएंगे;

(घ) दो उप–ठेके उस ग्राम पंचायत में अनुज्ञात किये जाएंगें, यदि ऐसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक है।''।

अमित कुमार अग्रवाल,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,
हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th March, 2019

No. 35 /X-l/P.A. 1/1914/S.59/2019.— In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and with reference to the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 98/X-l/P.A.1/1914/S.9/2018, dated the 31st October, 2018, I, Amit Kumar Agrawal, Excise Commissioner, Haryana exercising the powers of Financial Commissioner hereby make the following rules further to amend the Haryana Liquor License Rules, 1970, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Liquor License (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2019.

2. In the Haryana Liquor License Rules, 1970 (hereinafter called the said rules), in rule 24,-

(i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-